कार्यालय अधिष्ठाता,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शास0 चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ0ग0)
(दूरभाष क्र. 07762–220742, वेबसाईट– **www.gmcraigarh.edu.in** ई–मेल **gmcraigarh.2013@gmail.com**)

File No.: LAW/3768/2025-Legal Sec. **Raigarh Date 29.11.2025**

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल,
नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0 492002

विषय :– माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WP(C) 5062 of 2025 (कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग विरूद्ध छ0ग0 शासन एवं अन्य) के संबंध में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में उपस्थिति होने के संबंध में।

संदर्भ :– 1. Office of the Advocate General G.G. Bilaspur का पत्र No. AG/CG/BSP/2025 Dated 28-11-2025
2. कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक का पत्र क्र.–7950 दिनांक 29.11.2025.

:::::::::::: **000** ::::::::::::

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WP(C) 5062 of 2025 (कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग विरूद्ध छ0ग0 शासन एवं अन्य) के संबंध में कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शास0 चिकित्सालय, रायगढ़ द्वारा जवाब–दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। तद्उपरांत महाधिवक्ता कार्यालय के संदर्भित पत्र में–"That the case was listed before the Hon'ble Court on 28/11/2025 and the Hon'ble Court had Directed the State Counsel for the appearance of the CME or any authorized person of department on 02/12/2025" उल्लेखित अनुसार आयुक्त चिकित्सा शिक्षा अथवा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय के संबंधित विभाग/शाखा के अधिकृत अधिकारी को माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रकरण के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय के संदर्भित पत्र के स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित है।

अतः उपरोक्तानुसार माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के उक्त निर्देश के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Dr Vinit Kumar Jain
Date: 29-11-2025
18:28:27

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,
चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़,(छ.ग.)

पृ. **File No.: LAW/3768/2025-Legal Sec.** **Raigarh Date 29.11.2025**

प्रतिलिपि :–

1. महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर परिसर, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी एवं संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक, संबद्ध संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शा. चिकित्सालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी–लीगल, Court Case Management System, Medical Education की ओर सूचनार्थ।

Sd/-
अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,
चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़,(छ.ग.)

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agchhattisgarh@nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

No. AG/CG/BSP/2025/

FAX

Dated: 28.11.2025

To,

1. The Secretary,
   Department of Health & Family Welfare,
   Mantralaya Mahanadi Bhawan,
   District – Raipur (C.G.)
2. The Joint Director,
   Government Medical College,
   District – Raigarh (C.G.).

Sub:-WP(C) No. 5330/2025; Chhattisgarh Institute of Nursing Vs. State of Chhattisgarh & Ors.

The present petition is preferred against the court, arbitrary, and manifestly illegal recovery order dated 09.04.2025, issued by respondent no 05 against the petitioner college, directing recovery of a sum of Rs. 7,79,210/- towards alleged deficit clinical fees for the academic sessions 2018 to 2024 to 2025.

That the case was listed before the Hon'ble Court on 28/11/2025 and the Hon'ble Court had directed the State counsel for the appearance of the CME or any authorized person of Deparment on 02.12.2025 for the clarification or query of the Hon'ble Court on **per student per seat** as mentioned in the letter dated 09.04.2025 as well as in the permission dated 18.07.2024 that why the word has been used **per student per year** whereas per seat has already been mentioned in the permission ffor running Nursing College as well as in the order dated 09.04.2025 for recovery of the remaining/outstanding clinical fees.

Thus, you are informed to appear before this Hon'ble Court on 02.12.2025 with all required documents as well as the clarification that the Hon'ble Court has been sough for.

Treat this as **Most Urgent**.

[UPASANA MEHTA]
[DEPUTY GOVERNMENT ADVOCATE]

Kalandra Dewangan

Scanned by CamScanner

कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक

संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)
दूरभाष 07762–222979, फॉक्स 07762–220742, ई.मेल – gmcraigarhhospital@gmail.com

क्र./सं.बा.गु.घा.जी स्मृ.शा.चि./ लेखा(स्वशासी)–लीगल/2025/7950 रायगढ़, दिनांक 29/11/2025

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
नार्थ ब्लॉक,सेक्टर–19 स्वास्थ्य भवन
द्वितीय तल,नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
द्वारा- उचित माध्यम

न्यायालयीन प्रकरण/ अति–आवश्यक

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण WP(C) 5062/2025 **(कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य)** के संबंध में।

संदर्भ :– Deputy Government Advocate (Upasana Mehta) Office of the Advocate General CG Bilaspur Letter No. AG/CG/BSP/2025/ Dated 28.11.2025

–::0::–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण** WP(C) 5062/2025 **(कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य)** में जवाबदावा दिनांक 14.10.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

संदर्भित पत्र में लेख किया गया है कि–"That the case was listed before the Hon'ble Court on 28/11/2025 and the Hon'ble Court had **directed the State Counsel for the appearance of the CME or any authorized person of department on 02/12/2025."** तदानुसार माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के संबंधित निर्देश के परिपालन में संबंधित शाखा के अधिकारी/आयुक्त को उपस्थित होना है, के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–संदर्भित पत्र

प्रकरण प्रभारी अधिकारी
संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक
तथा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध
संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति, शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र./सं.बा.गु.घा.जी स्मृ.शा.चि./लेखा(स्वशासी)–लीगल/2025/ रायगढ़, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

01. सचिव,छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
02. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. Deputy Government Advocate (Upasana Mehta) Office of the Advocate General CG Bilaspur की ओर सादर सूचनार्थ।
03. कार्यालयीन प्रति।

प्रकरण प्रभारी अधिकारी
संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक
तथा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध
संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति, शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner